बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

:: संकल्प ::

पटना–15, दिनांक 2.2.15

विषयः–बिहार राज्य न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को दूरभाष (मोबाइल टेलीफोन) सुविधा के संबंध में।

1. सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक–9188 दिनांक 14.09.2006 द्वारा राज्य न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को निम्नवत् दूरभाष की सुविधा प्रदत्त है :–

दूरभाष की सुविधा :– प्रत्येक न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को आवास एवं कार्यालय में राज्य सरकार के व्यय पर दूरभाष सुविधा दी जायेगी। कार्यालय में सभी दूरभाष एस0टी0डी0 सुविधा युक्त होंगे, परन्तु आवास पर एस0टी0डी0 की सुविधा मात्र उच्च न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारियों को ही अनुमान्य होगी।

निःशुल्क काल की सुविधा निम्नलिखित अधिसीमा के अंतर्गत दी जायेगी :–

क्र0	अधिकारियों की श्रेणी	दो माह के लिए निःशुल्क काल की सीमा	
		कार्यालय	आवास
1	*2*	*3*	*4*
1	जिला एवं सत्र न्यायाधीश/प्रधान न्यायाधीश	3000	2000
2	अतिरिक्त एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश	2000	1000
3	असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि)	2000	1000
4	असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि)	1500	750

यह सुविधा दिनांक 01.07.2006 से प्रभावी होगी एवं इसका व्यय पूर्व की भांति दूरभाष शीर्ष से किया जायेगा।

2. विधि विभाग के पत्रांक–2683 दिनांक 28.04.2014 द्वारा न्यायिक पदाधिकारियों को दूरभाष सुविधा के संबंध में निम्नांकित अनुशंसा की गयी है :–

राज्य के न्यायिक पदाधिकारियों को दूरभाष भत्ता के रूप में जो अनुमान्यता सरकार के द्वारा निर्धारित है, उसमें इस प्रकार की परिवर्तन की आवश्यकता है कि राज्य के न्यायिक पदाधिकारियों में जिला न्यायाधीश/प्रधान न्यायाधीश/मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी/प्रभारी न्यायाधीश (निबंधक) को बेसफोन (land line) की सुविधा प्रदान करते हुए उन्हें एवं इनके साथ अन्य न्यायिक पदाधिकारियों को ऑफिस के बेसफोन की सुविधा समाप्त करते हुए मोबाइल की सुविधा प्रदान की जाय, जिसमें इस मोबाइल का सिम कार्ड डाटा पैक के साथ अनुमान्य राशि का, सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाय और मोबाइल का क्रय सभी न्यायिक पदाधिकारियों को अपने स्तर से करना होगा, जिसमें न्यायालीय कार्य में उन्हें सुविधा होगी और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा या अन्य वरीय न्यायिक पदाधिकारी द्वारा कोई आदेश उन्हें ई–मेल द्वारा संसूचित होगा और इस प्रकार उनके द्वारा प्रत्येक माह मोबाइल पर किये गये न्यायालीय कार्य के लिए जो राशि व्यय होगी, उसका विपत्र सरकार द्वारा वहन करने पर विचार किया जाना उचित प्रतीत होता है। इसकी अनुमान्यता न्यायिक पदाधिकारियों के कोटि के अनुसार निर्धारित किया जाना उचित होगा। परन्तु राज्य के न्यायिक पदाधिकारियों में जिला न्यायाधीश/प्रधान न्यायाधीश/मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी तथा प्रभारी न्यायाधीश जो प्रशासनिक कार्य भी देखते हैं, को छोड़कर अन्य सभी न्यायिक पदाधिकारियों को उनको उपलब्ध करायी गयी बेसफोन (land line) की सुविधा को समाप्त किया जा सकता है।

3. विधि विभाग की अनुशंसा के आलोक में राज्य के न्यायिक पदाधिकारियों को दूरभाष (मोबाइल टेलीफोन) सुविधा निर्धारण निम्नरूपेण किये जाने का निर्णय लिया गया है :–

(i) राज्य के न्यायिक पदाधिकारियों में जिला न्यायाधीश/प्रधान न्यायाधीश/मुख्य न्यायाधीश/मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं प्रभारी न्यायाधीश निबंधक को बेसफोन (land line) की सुविधा प्रदान करते हुए उन्हें एवं उनके साथ अन्य न्यायिक पदाधिकारियों को ऑफिस के बेसफोन की सुविधा समाप्त करते हुए मोबाइल की सुविधा प्रदान की जायेगी जिसमें मोबाइल

का सिम कार्ड, डाटा पैक के साथ अनुमान्य राशि सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा और मोबाइल का क्रय सभी न्यायिक पदाधिकारियों को अपने स्तर से करना होगा।

(ii) उक्त सुविधा देय होने के फलस्वरूप प्रत्येक न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (वर्तमान में सामान्य प्रशासन विभाग) के संकल्प संख्या–9188 दिनांक 14.09.2006 द्वारा प्रदत्त दूरभाष सुविधा में पूर्व की भांति अनुमान्य आवासीय दूरभाष की सुविधा यथावत् रहेगी और कार्यालय दूरभाष के स्थान पर मोबाइल की सुविधा हेतु राशि कोटिवार निम्नरूपेण देय होगी :–

क्र0	अधिकारियों की श्रेणी	निर्धारित राशि की सीमा (रुपये में) प्रतिमाह
1	**जिला एवं सत्र न्यायाधीश/प्रधान न्यायाधीश**	1000/–
2	**अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश**	1000/–
3	**मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी/असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि)**	1000/–
4	**असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि)**	750/–

(iii) उक्त सुविधा राज्य के न्यायिक पदाधिकारियों में जिला न्यायाधीश/प्रधान न्यायाधीश/मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी/प्रभारी न्यायाधीश जो प्रशासनिक कार्य भी देखते है, को छोड़कर अन्य सभी न्यायिक पदाधिकारियों को उनको उपलब्ध करायी गयी ऑफिस बेसफोन की सुविधा को समाप्त किया जा सकता है।

(iv) इसका व्यय पूर्व की भांति दूरभाष मद से किया जायेगा।

4. इसमें वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रतियाँ सभी संबंधित विभागों/विभागाध्यक्षों/महालेखाकार, बिहार, पटना/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी उप कोषागार पदाधिकारी/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना को भेजी जाय।

21/5/15

(मो0 जफर रकीब)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–7/स्था01–15–02/2012सा0प्र0 7516 /पटना–15, दिनांक 21-5-15

प्रतिलिपि–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ दो प्रतियों में सी0डी0 के साथ प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि राजपत्र की एक सौ अतिरिक्त प्रतियाँ सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध करायी जाय।

21/5/15

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–7/स्था01–15–02/2012सा0प्र0 7516 /पटना–15, दिनांक 21-5-15

प्रतिलिपि–सभी प्रधान सचिव एवं सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/महालेखाकार, बिहार, पटना/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश/महाधिवक्ता, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

21/5/15

सरकार के उप सचिव।